

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
लोक उद्यम विभाग

ब्लॉक संख्या 14, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स,  
लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003  
दिनांक: 24 अप्रैल, 2023

**कार्यालय ज्ञापन**

विषय: केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईज़) के सीएसआर व्यय को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुकूल बनाने के संबंध में ।

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 10.12.2018, 29.5.2019, 01.06.2020, 12.05.2021 और 05.04.2022 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ लेने और यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि सक्षम प्राधिकारी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सीपीएसईज़ द्वारा सीएसआर गतिविधियों के लिए सामान्य विषय के रूप में 'स्वास्थ्य और पोषण' को मंजूरी दे दी है।

2. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि उपरोक्त को सूचना और अनुपालन के लिए अपने संबंधित प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सीपीएसईज़ के ध्यान में लाएं।
3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

  
(कैलाश भंडारी)

उप निदेशक  
दूरभाष : 2436-6247

सेवा में,

सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के सचिव।

प्रतिलिपि:-

- (i) प्रधानमंत्री कार्यालय (श्री सौरभ शुक्ला, निदेशक), साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली - दिनांक 17 अप्रैल, 2023 का 340/31/सी/11/2018-एफई के संदर्भ में।
- (ii) मंत्रिमंडल सचिवालय (श्री अजय कुमार सिन्हा, अवर सचिव), राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली - दिनांक 21 अप्रैल, 2023 के 252/2/2/2022-सीए.IV के संदर्भ में।
- (iii) सीपीएसईज़ के मुख्य कार्यपालक
- (iv) माननीय वित्त मंत्री के निजी सचिव, कमरा नंबर 136-ए, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
- (v) माननीय वित्त राज्य मंत्री के निजी सचिव, कमरा नंबर 166-ए, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली